DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)

Room No.38, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

No. F/PC/AQC-36/D- 88 **dated:** 06**.6.2018**

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Starred question no. 36 dated 07/06/2018.

Kindly find enclosed herewith the answer in r/o Starred question no. 36 raised by Sh. Surender Singh , MLA.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

06/06/2018
Asstt. Director(PC)
Phone No. 23378559

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विषय: श्री सुरेन्द्र सिंह, विधायक द्वारा पूछे गये विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 36 दिंनाक7/6/2018 का उत्तर।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगेः

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि किर्बी प्लेस, बरार स्क्वेयर, सदर बाजार , झरेडा, शंकर कैंप, विवेकानंद कैंप, हरिजन बस्ती व मोती बाग की झुग्गियों में विकास कार्यों हेतु किसी समिति का गठन किया गया है	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा इन झुग्गी बस्तियों के विकास कार्य हेतु किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया है।
ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है	लागू नहीं होता है।
ग) दिल्ली कैन्टोनमेंट विधानसभा के झुग्गी वासियों को वैकल्पिक स्थान देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति का विवरण क्या है, और	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली में सरकारी जमीन पर स्थित दिल्ली स्लम जे.जे. पुर्नस्थापना एवम् पुनर्वास नीति-2015 के तहत झुग्गियों / जे. जे. बस्तियों को पुनर्वासित करने के लिए एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। यदि सरकारी विभागों /भूस्वामी संस्थाओं को सरकारी योजनाओं हेतु उस जगह की जरूरत है, जहाँ जे. जे. बस्ती बसी है, उस भूस्वामी संस्था के आग्रह पर यह विभाग उन्हें पुनर्वासित करने की कार्यवाही शुरू करता है। इस नीति को माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात दिंनाक-11/12/2017 को उप सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। दिंनाक 20-09-2017 के आदेशों के अनुसार भारत सरकार एंव उसके उपक्रमों की भूमि पर से झुग्गी-झोपड़ी का पुनर्वास डी डी ए द्वारा किया जाएगा।
घ) दिल्ली कैन्टोनमेंट की इन झुग्गियों	दिल्ली कैन्टोनमेंट विधान सभा क्षेत्र न. 38 में तीन

06/06/2018
ADC(PC)

में सरकार द्वारा दी गई नागरिक सुवधाओं का विवरण क्या है	सरकारी विभाग कार्यरत है जो नागरिक सुविधाएं प्रदान करते है। 1. दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड 2. सैन्य अभियांत्रिक सेवाए 3. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उपरोक्त सरकारी विभाग ही इस क्षेत्र की झुग्गियों में सुविधाएं प्रदान करते हैं इसलिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है परन्तु माननीय विधायक के प्रयत्नों से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा संजय बस्ती में सी. सी. पेवमेन्ट बनाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र डूसिब को दिया है जिसका कार्य 31/10/2018 तक पूरा कर दिया जायगा।

यह उत्तर सक्षम आधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

06/06/2018

सहायक निदेशक (ससंद प्रकोष्ट)

उप सचिव (प्रश्न शाखा), पुराना सचिवालय, दिल्ली सरकार